आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

03/01/26

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-54/2024-25

मिटकु पाहन ..... आवेदक।

बनाम्

राधिका देवी, ... विपक्षी।

आदेश

आवेदक मिटकु पाहन, पिता–स्व० बानो पाहन, निवासी ग्राम–पेरतोल थाना–सदर, खेलगाँव, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि विपक्षी राधिका देवी, पति–धर्मनाथ साव, निवासी ग्राम–कोकर, चुना भट्ठा, कोकर, थाना–सदर, जिला–राँची ने छल प्रपंच कर उनकी खतियानी जमीन जमीन हड़प लिये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रक़बा
पेरतोल	172	34	264	25 डी०

यह आवेदक की खतियानी जमीन है। खतियान में वकास्त भूईहरी नाम दर्ज है। किन्तु लगान पानेवाले का नाम दाशो पाहन दर्ज है। आवेदक के द्वारा वंशावली शपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल किये हैं, इसमें पुशवा पाहन अपने पीछे दाशो पाहन, तेजनी पहनाईन एवं ननकु पाहन को छोड़ गये। दासो पाहन अपने पीछे अघनु पाहन, जगनु पाहन, जगुआ पाहन को छोड़ गये। अघनु पाहन अपने पीछे बोनो पाहन को छोड़ गये। बोनो पाहन अपने पीछे मिटकु पाहन (आवेदक) एवं दीपक पाहन को छोड़ गये। दीपक पाहन अपने पीछे राथो देवी (पत्नी) को छोड़ गयें। आवेदक का कहना है कि विपक्षी ने उनकी जमीन को जबरन दखल–कब्जा कर लिये हैं। आवेदक या उनके वंशज द्वारा कभी भी जमीन विपक्षी को नहीं बेचा गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा विपक्षी सामान्य वर्ग से आते हैं। इसलिए आवेदक की जमीन को विपक्षी दखल–कब्जा नहीं कर सकते हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत मुझे यह जमीन वापस होना चाहिए। विपक्षी न्यायालय में

3/1/26

कृ०पृ०उल्टे

03/1/26

उपस्थित हुए लेकिन पर्याप्त समय देने के बाद भी कारणपृच्छा दाखिल नहीं किए, अतः विपक्षी को कारणपृच्छा दाखिल करने से वंचित किया गया। तत्पश्चात् आवेदक ने दो गवाह प्रस्तुत किये।

आवेदक की ओर से गवाह सं०— 01, मिटकु पाहन, पिता—स्व० बोनो पाहन अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि मैं और मेरे पूर्वजों ने कभी भी जमीन की बिक्री नहीं कियें हैं। जमीन खाली होने के कारण विपक्षी ने नाजायज तरीके से जमीन पर दखल—कब्जा कर लिये हैं। विपक्षी गैर—आदिवासी हैं तो इन्हें मेरे जमीन को लेने का अधिकार नहीं है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि दाशो पाहन मेरे परदादा हैं। विपक्षी 12 वर्षो से नाजायज तरीके से मेरे जमीन पर घेराबंदी कर लिए हैं।

आवेदक की ओर से गवाह सं०— 02, रवि पाहन, पिता—स्व० चुनु पाहन अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि वर्णित भूमि में से 25 डिसमिल जमीन को विपक्षी ने गैर—कानूनी तरीके से कब्जा कर लिए हैं। विपक्षी राधिका देवी दबंग महिला है तथा धमकी देती है कि मैं जमीन नहीं खाली करूँगी। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और विपक्षी सामान्य वर्ग से आते हैं। आवेदक खतियानी रैयत के पोता है। अतः मेरी जमीन मुझे वापस होना चाहिए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया, इसमें कहते हैं कि आवेदक मिटकु पाहन खतियानी रैयत दाशो पाहन के वंशज है। विपक्षी राधिका देवी ने 25 डिसमिल जमीन नाजायज तरीके से कब्जा कर लिए, साथ ही असामाजिक तत्वों से मिलकर हमलोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। विपक्षी मेरी आदिवासी खाते की जमीन को नाजायज तरीके से हड़प लिए हैं। इसलिए मुझे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—71"A" के अंतर्गत जमीन वापस होना चाहिए। आवेदक की ओर खतियान की छायाप्रति दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से बहस नहीं किया गया एवं जमीन से संबंधित कोई भी कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किये हैं।

न्यायालय के विद्वान सरकारी अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया। इसमें कहते हैं कि विपक्षी सामान्य व्यक्ति के हैं, जबकि आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य

03/1/26

कृ०पृ०उल्टे

03/1/26 है तथा खतियानी रैयत के वंशज हैं। विपक्षी ने उपायुक्त के अनुमति लिए बिना जमीन को गैर–कानूनी तरीके से हड़प लिया है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71 "A" का उल्लघंन है। इसलिए आवेदक की जमीन वापस होने के साथ–साथ विपक्षी को जमीन से बेदखल किया जाए।

विपक्षी को पर्याप्त समय देने के बावजूद उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया न ही अपने पक्ष में कोई कागजात न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना साथ ही सरकारी अधिवक्ता की ओर से आवेदक की जमीन को वापस करने के हेतु बहस किया गया। बहस सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि प्रश्नगत् जमीन आदिवासी खाते की है, अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत विपक्षी को भूमि से बेदखल करते हुए आवेदक को वर्णित जमीन वापस की जाती है। विपक्षी को यह आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर यदि कोई संरचना हो तो उसे 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, काँके को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत् भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित आवेदक के अन्य वैध वंशजो को दखल–देहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

13/01/26
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

13/01/26
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 01 (ii) **दिनांकः–** 03/01/26

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, काँके, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2026.01.05 16:47:10 +05:30
Location: 10.232.253.39

13/01/26
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।